

कानों से बहुत सुना, अब कुछ कानों की भी सुनते हैं, आइये, ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं



हम निम्नलिखित उपायों द्वारा ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं :

- त्योहारों और महत्वपूर्ण अवसरों के दौरान पटाखें न चलायें।
- अनावश्यक रूप से गाड़ी का हॉर्न न बजायें।
- चिन्हित साइलेंट ज़ोन में हॉर्न का प्रयोग न करें।
- डी.जे. सेट के साथ ध्वनिक संलग्नक (Acoustic Enclosure) का प्रयोग करें।
- ध्वनि करने वाली मशीनों का उपयोग करते समय दरवाजा बंद रखें।
- ऑटोमोबाइल में साइलेंसर्स का प्रयोग करें।
- डी.जे. और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली (Public addressing System) के साथ ध्वनि सीमक (Sound Limiters) का उपयोग करें।
- ध्वनि नियम तथा ध्वनि सीमा स्तर का पालन करें।
- पेड़ लगाकर पर्यावरण को अनुकूल बनायें।

क्या आपका पड़ोसी असहनीय शोर मचा रहा है? क्या आप डीजे, लाउड स्पीकर और पीए सिस्टम से तंग आ चुके हैं?

आप कॉल कर सकते हैं

ईआरएसएस-112
ध्वनि प्रदूषण के लिए
हेल्पलाइन - 155271

आप ऑनलाइन शिकायत
भी दर्ज करा सकते हैं

ngms.delhi.gov.in
और **ग्रीन दिल्ली ऐप पर**

ईआरएसएस - इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम

ईआरएसएस - 112 - यह एक वन-स्टॉप आपातकालीन नंबर है जो 24x7 उपलब्ध है। यह संकटग्रस्त व्यक्तियों के लिए पैन-इंडिया सिंगल नंबर (112) आधारित रेस्पॉन्स सिस्टम है।

नीचे दिए गए संबंधित मुद्दों के लिए कॉल करें:

पुलिस, एंबुलेंस या दमकल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल नंबर

